रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245116
CG-DL-E-12042023-245116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945
No. 224] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

गृह मंत्रालय
(यूटीपी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2023

सं. 160/संयुक्त आयुक्त पुलिस/लाइसेंसिंग (ईडीपी) दिनांक 08.04.2023

सा.का.नि. 285(अ).— चूँकि अधोहस्ताक्षरी यह आवश्यक समझते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भोजनालयों के पंजीकरण और नियंत्रण के लिए विनियम बनाए जाने चाहिए।

अतः अधोहस्ताक्षरी दिल्ली के प्रशासक/ उपराज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, और दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 की उप धारा (1) के खंड (za) और (zb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं: -

(1) संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ -

इन विनियमों को दिल्ली भोजनालय पंजीकरण विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(i) इनका विस्तार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

(ii) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(2) परिभाषा -

(i) **"अपीलीय प्राधिकारी"** का अर्थ दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल या पुलिस आयुक्त, दिल्ली, जैसा भी मामला हो, जैसा कि इन विनियमों में निर्धारित किया गया है।

(ii) **'आयुक्त'** का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पुलिस आयुक्त से है, जैसा कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 में परिभाषित किया गया है।

(iii) **"ईटिंग हाउस"** का अर्थ है कोई भी स्थान जहां जनता को प्रवेश दिया जाता है और जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा परिसर में उपभोग के लिए किसी भी प्रकार के भोजन या पेय की आपूर्ति की जाती है या जिस स्थान में कोई रुचि या प्रबंधन होता है और जिसमें निम्न शामिल हैं:-

(ए) एक जलपान कक्ष, बोर्डिंग हाउस या कॉफी हाउस, या

(बी) ऐसी दुकान जिसमें या उसके पास जनता के लिए किसी भी प्रकार के खाद्य या पेय की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इसमें सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान शामिल नहीं है।

(i) **'उपयुक्त व्यक्ति'** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो/जिसका :

(ए) एक वैध अनुबंध निष्पादित करने के लिए सक्षम हो और, जो

(बी) अपेक्षित कौशल और संसाधन रखता है, और

(सी) जिसके पूर्व चरित्र को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के माध्यम से प्रमाणित किया गया है (ए) यदि आवेदक दिल्ली का निवासी है तो दिल्ली पुलिस पीसीसी पोर्टल के माध्यम से या (बी) यदि वह दिल्ली के बाहर का निवासी है तो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सम्बंधित सक्षम अधिकारी के माध्यम से और

(डी) अन्यथा एक अनुपयुक्त व्यक्ति नहीं है और भोजनालय को संचालित करने की क्षमता रखता है।

(ii) **'उपयुक्त क्षेत्र'** का अर्थ है वह क्षेत्र जहां प्रदर्शन या सार्वजनिक मनोरंजन की व्यवस्था, उस क्षेत्र और उसके आसपास रहने वालों के लिए, बिना किसी गड़बड़ी और शांति और व्यवस्था के लिए खतरा पैदा किए बिना, किया जा सके।

(iii) **'उपयुक्त स्थान'** का अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मनोरंजन के साधनों को रखने के लिए पर्याप्त जगह हो, जहाँ पार्किंग की सुविधा (लागू नीति के अनुसार) हो और जगह को स्वच्छ रखने की व्यवस्था हो, जो यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधित नहीं करता हो या क्षेत्र के लोगों के लिए जोखिम, खतरे, क्षति या किसी प्रकार की परेशानी का कारण नहीं बनता हो।

(i) **'पंजीकरण प्राधिकारी'** का अर्थ पुलिस आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी है।

(3) पंजीकरण की आवश्यकता - कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भोजनालय नहीं चलाएगा सिवाय इसके जोकि इन नियमों में प्रावधान किया गया है, जब तक कि उसके पास ऐसे ईटिंग हाउस के संबंध में इन नियमों के अनुसार दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (यहां इसके बाद के रूप में संदर्भित) के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र नहीं है।

(4) पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक की उपयुक्तता एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तावित परिसर:-

(1) भोजनालय खोलने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करेगा।

(2) पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारीयह सुनिश्चित करेगा और मूल्यांकन करेगा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदक और प्रस्तावित परिसर निम्नलिखित को पूरा करता है: -

(i) आवेदक उपयुक्त है,

(ii) वह स्थान जहाँ ऐसा भोजनालय खोला जाना है, प्रस्तावित उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।

(iii) भोजनालय के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित स्थान उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त है जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र की यह शर्त होगी कि पंजीकृत परिसर के संबंध में उप-विनियम (2) के उपरोक्त प्रावधान पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि के दौरान पूरे समय बनाए रखे जाएंगे।

(5) पंजीकरण के लिए आवेदन – (1) भोजनालय के पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदन जमा करने के समय आवेदक द्वारा विनियम 19 में विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा।

(3) एक भोजनालय के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन को संसाधित करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे:

ए) प्रधान दस्तावेज (लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त किए जाएंगे)

(i) नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस।

(ii) स्थानीय पुलिस और यातायात से क्षेत्र उपयुक्तता रिपोर्ट।

बी) उप-प्रधान दस्तावेज (गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने के लिए)

(i) आवेदक की पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड /वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस)।

(ii) आवेदक के पते का प्रमाण (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ पासपोर्ट/बिजली बिल/लैंडलाइन टेलीफोन बिल/वैध रेंट एग्रीमेंट/लीज डीड एग्रीमेंट/संपत्ति स्वामित्व दस्तावेज)।

(iii) 30 दिनों की रिकॉर्डिंग सुविधा और वैध वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के साथ सीसीटीवी लगाने के संबधित दस्तावेज।

(iv) आवेदक के पक्ष में साझेदारी फर्म के मामले में प्राधिकरण प्रमाण पत्र और प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में निदेशक मंडल का प्रस्ताव।

(v) कंपनी के मामले में निगमन का प्रमाण पत्र और साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी विलेख।

(vi) यदि आवेदक दिल्ली का निवासी है, तो पीसीसी पोर्टल के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा जारी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी)। यदि आवेदक दिल्ली के बाहर का निवासी है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा जारी पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पीसीसी)।

(vii) परिसर के स्वामित्व/किरायेदार का प्रमाण।

(viii) फॉर्म -1 में आवेदक द्वारा एक वचनबद्धता।

सी) इन विनियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, हेल्थ ट्रेड व्यापार लाइसेंस जारी करने के नौ दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से, आवेदक या साझेदारी फर्म या कंपनी के नाम पर, जैसा भी मामला हो, जिसकी ओर से आवेदक ने आवेदन किया है, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

डी) पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से पहले या बाद में किसी भी समय परिसर का निरीक्षण करने का विवेकाधिकार होगा। पंजीकरण प्राधिकारी अपने किसी भी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी जो प्रधान सिपाही के पद से नीचे का न हो, को ऐसा निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

ई) अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण मानदंड, संरचनात्मक और विद्युत सुरक्षा, आपदा प्रबंधन (महामारी सहित), अन्य सुरक्षा पहलुओं अथवा अन्य कानूनों से सम्बंधित प्रमाणपत्र/अनापत्ति पत्र/ अनुपालनाएं (जहां भी लागू हो), संबंधित एजेंसियों के तत्कालीन कानूनों, नियमों और उपनियमों द्वारा शासित होंगे।

एफ) भोजनालय का पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति पंजीकृत परिसर के प्रमुख स्थान पर सदैव प्रदर्शित करेगा।

(6) पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण -

i) इन विनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन पत्र के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले ऑनलाइन किया जाएगा। नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस और स्थानीय पुलिस और यातायात से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाएगा, यदि आवेदन को अस्वीकार/निरस्त नहीं किया जाता है ।

ii) जहां एक आवेदन उप-विनियम (i) के अनुसार किया जाता है, जहां पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाना है, उस परिसर को तब तक विधिवत पंजीकृत माना जाएगा जब तक कि इस तरह के पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत नहीं किया जाता है और आवेदक को ऑनलाइन वितरित नहीं किया जाता है अथवा इस सूचना तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को सूचित कर दिया गया हो।

iii) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-

ए) प्रधान दस्तावेज (लाइसेंसिंग डिवीजन द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए)

(i) नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी किया गया हेल्थ ट्रेड लाइसेंस।

(ii) स्थानीय पुलिस और यातायात से क्षेत्र उपयुक्तता रिपोर्ट।

बी) उपप्रधान दस्तावेज़ - पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल पर प्रपत्र-2 (अनुलग्नक-2) के अनुसार एक वचनबंध अपलोड करना होगा।

सी) अग्निसुरक्षा, पर्यावरण मानदंड, संरचनात्मक और विद्युत सुरक्षा, आपदा प्रबंध (महामारी सहित), अन्य सुरक्षा पहलुओं अथवा अन्य कानूनों से सम्बंधित प्रमाणपत्र/अनापत्ति पत्र/अनुपालनाएं (जहां भी लागू हो), संबंधित एजेंसियों के तत्कालीन कानूनों, नियमों और उप नियमों द्वारा शासित होंगे।

(7) पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता - प्रदान/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाणपत्र एक समय में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, और यदि उससे पहले नवीनीकरण नहीं किया गया तो तीसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा।

(8) पंजीकरण प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट कॉपी - यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है, तो आवेदक लाइसेंस की एक प्रति गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल से डाउनलोड कर सकता है।

(9) परिचालन समय

इन विनियमों के अधीन पंजीकृत भोजनालयों के संचालन का समय निम्नानुसार होगा:-

(i) पांच सितारा और चार सितारा होटलों के परिसर में संचालित सभी भोजनालयों (समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों और मानकों के अनुसार वर्गीकृत और मान्यता प्राप्त और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित) हवाईअड्डों, रेलवे/मेट्रो स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस के परिसरों के भीतर संचालन करने वाले भोजनालयों को पूरे दिन (यानी एक दिन में 24 घंटे) संचालन की अनुमति होगी।

(ii) तीन सितारा होटलों के परिसर में संचालित सभी भोजनालयों (समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों और मानकों के अनुसार वर्गीकृत और मान्यता प्राप्त और मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित) को पूरे दिन, **02:00 पूर्वाह्न से 05:00 पूर्वाह्न को छोड़कर (यानी एक दिन में 21 घंटे) संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।**

(iii) उपरोक्त 9(i) और 9(ii) में उल्लिखित परिसरों के अलावा सभी भोजनालयों को पूरे दिन के लिए **01:00 पूर्वाह्न से 05:00 पूर्वाह्न को छोड़कर (यानी एक दिन में 20 घंटे) संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।**

(iv) उपरोक्त 9 (ii) और (iii) में उल्लिखित परिसर में बंद होने के समय से पहले यदि कोई खाने-पीने की वस्तु या पेय परोसा गया है तो लाइसेंसधारी, ग्राहक से परोसी गई वस्तुओं का तुरंत उपभोग करने के लिए कहेगा तथा अधिक से अधिक 15 अतिरिक्त मिनट के लिए ईटिंग हाउस को खुला रख सकता है।

(10) सार्वजनिक मनोरंजन (सिनेमा के अलावा) और सार्वजनिक मनोरंजन के लिए प्रदर्शन के लाइसेंसिंग और नियंत्रण के नियमों के अलावा कोई भी पंजीकृत भोजनालय ऐसे परिसर में किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देगा या किसी भी संगीत को चलाने की अनुमति नहीं देगा।

(11) पंजीकरण प्रमाणपत्र का अहस्तांतरणीय होना

1. इन विनियमों के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय या समनुदेशित नहीं होगा और केवल उसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होगा जिसे यह प्रदान किया गया है।

2. यदि कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक अपना व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या सौंपता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक समझौता करता है, जिसमें उसके व्यवसाय पर संचारण या नियंत्रण को छोड़ना शामिल है, तो उसे दिया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसे लेन-देन की दिनांक से समाप्त हो जाएगा।

3. तथापि, पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक की मृत्यु के मामले में, उसका वारिस या कानूनी प्रतिनिधि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक की मृत्यु की तिथि से एक महीने के भीतर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को पंजीकरण प्रमाण पत्र की शेष अवधि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी इन विनियमों के प्रावधानों के संबंध में आवेदन पर निर्णय ले सकता है।

4. कोई भी व्यक्ति जिसके पास भोजनालय चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र है, प्रतिष्ठान के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उन सेवाओं के प्रयोजन के लिए अपने परिसर का उपयोग नहीं करेगा जो पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं है। यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक प्रतिष्ठान का नाम बदलना चाहता है या किसी अन्य प्रकार की मनोरंजन सेवाएं प्रदान करना चाहता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से मौजूदा पंजीकरण प्रमाणपत्र पर नए सिरे से अनुमोदन के लिए पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा।

(12) (1) अस्वीकरण, रद्द करना और निलंबन-

(i) **पंजीकरण के लिए मना करना:-** यदि प्रस्तावित स्थान इन विनियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो पंजीकरण प्राधिकारी के पास भोजनालय के पंजीकरण को इनकार करने का विवेकाधिकार होगा।

(ii) **नवीनीकरण के लिए अस्वीकरण:-** यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक ने एक झूठा वचनबद्ध प्रस्तुत किया है या पंजीकृत परिसर में पंजीकरण प्रमाण पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ है और इस बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस की लिखित रिपोर्ट, जिसमे पंजीकरण प्रमाणपत्र लेने वाले को प्रमाणपत्र रखने हेतु अयोग्य करार दिया गया हो, प्राप्त हुई हो तो पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत करने से इंकार कर सकता है।

(iii) **रद्द करना और निलंबन :-**

(ए) यातायात को विनियमित करने और सार्वजनिक स्थानों आदि में आदेश के संरक्षण के मामले में, पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अन्य अधिकारी के पास इन नियमों के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को किसी भी समय अपने विवेक से रद्द करने या ऐसी अवधि के लिए निलंबित करना जो वह निर्दिष्ट कर सकता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को भोजनालय को स्थायी या अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश देने की शक्ति होगी।

(बी) यदि पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी रखने उपयुक्त व्यक्ति नहीं है या आस-पास के क्षेत्र में बाधा, असुविधा या गड़बड़ी को रोकने के लिए किसी भी समय इन विनियमों के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने या ऐसी अवधि के लिए निलंबित करने के लिए शसक्त होगा जिसे वह निर्दिष्ट कर सकता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को भोजनालय को स्थाई या अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दे सकता है।

(सी) यदि पुलिस आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी इस बातसे संतुष्ट है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र के किसी भी नियम/शर्त का उल्लंघन किया है, तो इन विनियमों के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को किसी भी समय रद्द या निलंबित करने की शक्ति होगी, ऐसी अवधि के लिए जो वह निर्दिष्ट कर सकता है और पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को भोजनालय को स्थायी या अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दे सकता है।

(डी) यदि कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक जानबूझकर खराब चरित्र के व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर मिलने या रहने की अनुमति देता है या किसी अवैध गतिविधि में शामिल होता है या अनुमति देता है, तो पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी को इस संबंध में इन विनियमों के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने या उसेनिर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित करने की शक्ति होगी। जिस व्यक्ति को इस तरह का निर्देश पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, वह इस तरह के निर्देश का तुरंत पालन करेगा।

(2) इन विनियमों के तहत दिया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक को कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है कि उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द क्यों न कर दिया जाए।

बशर्ते कि जब पंजीकरण प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया हो, तो इन विनियमों या पंजीकरण की किसी भी शर्त के तहत किए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के धारक के खिलाफ जांच लंबित होने पर कारण दिखाने का कोई अवसर आवश्यक नहीं होगा।

(13) अन्य एजेंसियों द्वारा निलंबन/निरस्तीकरण/रद्द करना/संचालन पर रोक/अभियोजन -

अन्य एजेंसियों द्वारा संबंधित कानूनों के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी भी उल्लंघन पर निलंबन/निरस्तीकरण/ रद्द करना/ संचालन पर रोक / अभियोजन जैसी कार्रवाई उनके द्वारा लागू उनसे संबंधित अधिनियमों/ नियमों/ विनियमों के अनुसार की जाएगी। संबंधित एजेंसियां अपने संबंधित अधिनियमों/ नियमों/ विनियमों के अनुसार ऐसे निलंबन/ निरस्तीकरण/ रद्द करना/संचालन पर रोक/ अभियोजन आदेशों के निष्पादन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

(14) निबंधन प्रमाण पत्र धारक अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में नामित कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति परिचालन घंटों के दौरान पंजीकृत परिसर में उपलब्ध रहेगा।

(15) प्रत्येक पंजीकृत भोजनालय में प्राथमिक उपचार की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी।

(16) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक ऐसे स्थान पर या उस स्थान पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा और किसी गड़बड़ी या दुर्घटना में मानव जीवन या अंग को चोट लगने या खतरे की स्थिति मे, तत्काल इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को देगा।

(17) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक हर समय किसी भी पुलिस अधिकारी को अपने अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में प्रवेश करने वाले किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसे स्थान पर सुलभ पहुंच की अनुमति देगा।

(18) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण पत्र धारक, जैसे ही वह एक भोजनालय को संचालित करना बन्द करता है, जिसके संबंध में इन विनियमों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, इसकी सूचना पुलिस आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत अन्य अधिकारी को देगा, ताकि पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(19) **शुल्क -** इन विनियमों में उल्लिखित विभिन्न परिचालन समय के साथपरिसरों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान और नवीनीकरण के लिए शुल्क समय-समय पर दिल्ली के प्रशासक/उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से पुलिस आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(20) **पंजीकरण का रिकॉर्ड:-** पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्रों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाए रखेगा।

(21) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की शर्तें -

(ए) प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों और समय-समय पर इस संबंध में पुलिस आयुक्त/ पंजीकरणप्राधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों का पालन करेगा ।

(बी) पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्धारित शर्तों के साथ गृह मंत्रालय के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में ऑनलाइन जारी किया जाएगा। आवेदक को अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी सूचित किया जाएगा।

(22) **निर्देश जारी करने की शक्ति:-** पुलिस आयुक्त/पंजीकरण प्राधिकारी परिचालन कारणों से समय-समय पर निर्देश/शर्तें जारी करेगा, जिसका अनुपालन पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक द्वारा किया जाएगा।

(23) अपील -

(1) इन विनियमों के प्रावधानों के तहत लाइसेंस देने या नवीनीकरण करने से इनकार करने या लाइसेंस रद्द करने या लाइसेंस को निलंबित करने से इनकार करने, इन विनियमों के तहत किए गए पंजीकरण प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश के संप्रेषण की तिथि से 30 दिनों के भीतर, दिल्ली पुलिस आयुक्त को अपील कर सकता है।

(2) उप-विनियम (1) या विनियम 12, जैसा भी मामला हो, के तहत पुलिस आयुक्त के एक आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के संचार की तिथि से 30 दिनों के भीतर, प्रशासक/ उपराज्यपाल को अपील कर सकता है।

(24) विनियमों की समीक्षा

उन्हें बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप लाने के लिए, इन विनियमों की समय-समय पर और कम से कम दो वर्षों में एक बार समीक्षा की जाएगी।

(25) निरस्तीकरण एवं संग्रह:- (1) जिस तिथि को ये विनियम लागू होते हैं, उसके तत्काल प्रभाव से 20 जून, 1980 और 20 दिसंबर, 2007 को जारी अधिसूचनाएं निरस्त हो जाएंगी।

(2) ऐसे किसी भी निरस्तीकरण के बावजूद, यदि ऐसा कुछ भी किया जाता है या कोई कार्रवाई की जाती है या किया जाना माना जाता है या उप विनियम (1) द्वारा निरस्त अधिसूचना के तहत कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तो, जहाँ तक ये इन विनियमों या दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अनुरूप नहीं हैं तो इसे इन विनियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया, लिया या प्रदत्त किया गया माना जाएगा।

[फा. सं. 14014/01/2023-UTP (E-3627231)]

संजय अरोरा, भा०पु०से०, पुलिस आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(UTP Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2023

No. 160 /Joint CP/Licensing (EDP) dated New Delhi the 08.04.2023

G.S.R.. 285(E).— Whereas the undersigned considers it expedient that regulations should be framed for registration and controlling of the Eating Houses in the National Capital Territory of Delhi.

Now, therefore the undersigned with the previous sanction of the Administrator/ Lieutenant Governor of Delhi, and in exercise of the powers conferred by clause (za) and (zb) of sub section (1) of section 28 of the Delhi Police Act 1978, hereby makes the following regulations:-

1. Short title, extent and commencement –

(i) These Regulations shall be called the Delhi Eating Houses Registration Regulations, 2023.

(ii) They shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) They shall come in to force from the date of their publication in the Gazette to India.

2. Definition –

(i) **"Appellate Authority"** means the Administrator/ Lieutenant Governor of Delhi or the Commissioner of Police, Delhi, as the case may be, as provided in these regulations.

(ii) '**Commissioner'** means the Commissioner of Police of National Capital Territory of Delhi, as defined in the Delhi Police Act, 1978.

(iii) "**Eating House**" means any place to which the public are admitted and where any kind of food or drink is supplied for consumption on the premises by any person owning, or having any interest in, or managing, such place and includes :-

(a) a refreshment room, boarding house or coffee house, or

(b) a shop where any kind of food or drink is supplied to the public for consumption in or near such shop, but does not include a Place of Public Entertainment

(iv) **Suitable Person**' means a person who:

(a) competent to execute a valid contract and

(b) possesses requisite skill, resources and

(c) has clear antecedents to be certified as per Police Clearance Certificate (PCC) issued by (A) Delhi Police through PCC portal in case applicant is a resident of Delhi, or (B) concerned state/UT authorities in case applicant is a resident of outside Delhi; and

(d) is otherwise not an unsuitable person and has capacity to operate an Eating House.

(v) '**Fit Locality**' means the place where Eating House is proposed to be located does not cause any disturbance or threat to peace and tranquility of the area and around it.

(vi) '**Fit Place**' means a place spacious enough for the operation of an Eating House having facilities of parking (as per applicable policy) and arrangement for keeping the place hygienically clean, which does not obstruct normal flow of traffic or cause risk, danger, damage or annoyance to the residents of the locality.

(vii) '**Registering Authority'** means an officer so designated by the Commissioner of Police.

3. Requirement of Registration- No person shall run or maintain an Eating House in the National Capital Territory of Delhi except as provided in these regulations, unless he holds a Certificate of Registration granted under the Delhi Police Act, 1978 (here in after referred to as 'the Act') in accordance with these Regulations, in respect of such Eating House.

4. Suitability of Registration Certificate Holder and proposed premises of Registration Certificate :-

(1) Every person applying for a Registration Certificate to open an Eating House shall upload all the required documents mentioned in the Unified Portal of the Ministry of Home Affairs, Government of India.

(2) The Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall ensure and assess that the applicant and the proposed premises for Registration Certificate also fulfills following:-

(i) The applicant is suitable,

(ii) The locality where such Eating House is to be opened is fit for the purpose proposed.

(iii) The place proposed to be used as an Eating House is fit for the purpose for which it is proposed to be used.

(3) It shall be a condition of every Registration Certificate that the above provisions of sub-regulation (2) in respect of the registered premises are maintained throughout, during the period of validity of the Registration Certificate.

5. Application for Registration – (1) Every person applying for a Registration Certificate for an Eating House shall furnish particulars in the online application form available on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.

(2) A non-refundable application fee as specified in Regulation 19 shall be deposited by the applicant at the time of submission of application.

(3) For processing the application for grant of Registration Certificate for an Eating House, following documents shall be uploaded on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India:

a) Primary Documents (To be obtained by Licensing Division)

(i) Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities.

(ii) Area Suitability Reports from Local Police and Traffic.

b) Secondary Documents (to be uploaded by the applicant on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India)

(i) Proof of Identity of applicant (Aadhar Card/Voter ID Card/PAN Card/Passport/Driving License).

(ii) Proof of Address of applicant (Aadhar card/Voter ID Card/Passport/Electricity Bill/Landline Telephone Bill/Valid Rent Agreement/Valid Lease Deed Agreement/Property Ownership document).

(iii) Invoice of installation of CCTV with 30 days recording facility and valid Annual Maintenance Contract (AMC).

(iv) Authorization certificate in case of partnership firm and Resolution of Board of Directors in case of Private Ltd or Public Ltd Company, in favour of applicant.

(v) Certificate of incorporation in case of Company and partnership deed in case of partnership firm.

(vi) In case the applicant is a resident of Delhi, Police Clearance Certificate (PCC) issued by Delhi Police through PCC Portal.

In case the applicant is resident of outside Delhi, Police Clearance Certificate (PCC) issued by the concerned State/UT Authority.

(vii) Proof of ownership/tenancy of the premises.

(viii) An undertaking by the applicant in Form-1.

c) Subject to fulfillment of the requirements of these regulations, the Registration Certificate shall be issued by the Registering Authority through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India within a period of nine days of issuance of Health Trade License, in the name of the Applicant, or in the name of Partnership Firm or Company, as the case may be, on behalf of which the Applicant has applied.

d) The Registering Authority shall have the discretion to inspect the premises either before or after the grant of the Registration Certificate. The Registering Authority may authorize any of his subordinate police officer not below the rank of Head Constable to undertake such inspection.

e) The Certificates/No Objection Certificates/Compliances (wherever applicable) with respect to Fire Safety, Environmental norms, Structural and Electrical safety, Disaster Management (including pandemic), other safety aspects, or otherwise as required in respective laws, shall be governed by the respective Agencies as per the extant laws, rules and/or bye-laws.

f) The Registration Certificate holder of the Eating House shall display the copy of the Registration Certificate issued by the Registering Authority at a prominent place of the registered premises.

6. Renewal of Registration Certificate-

i) Every application for renewal of the Registration Certificate under these Regulations shall be made online at least three months before the date on which the Registration Certificate is to expire, through the application form available on Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.The Certificate shall be renewed by such authority on receipt of Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities and requisite reports from Local Police and Traffic, unless the application is refused/rejected.

ii) Where an application is made in accordance with sub-regulation (i), the premises in respect of which the Registration Certificate is to be renewed, shall be deemed to be duly registered until such Registration Certificate is renewed and delivered to the applicant online, or till an intimation that the renewal of the Registration Certificate has been refused, is communicated to such person.

iii) For processing the application for renewal of Registration Certificate, following documents shall be required:-

a) Primary Documents (To be obtained by Licensing Division)

(i) Health Trade License issued by the Municipal/Local Authorities.

(ii) Area Suitability Reports from Local Police and Traffic.

b) Secondary Documents - The Registration Certificate Holder shall upload an undertaking as per Form-2 (Annexure-2) on the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.

c) The Certificates/No Objection Certificates/Compliances (wherever applicable) with respect to Fire Safety, Environmental norms, Structural and Electrical safety, Disaster Management (including pandemic), other safety aspects, or otherwise as required in respective laws, shall be governed by the respective Agencies as per the extant laws, rules and/or bye-laws.

7. Validity of Registration Certificate - Certificate of Registration granted/renewed shall be valid for a maximum period of three years, at a time, and shall expire on 31st March of the third year if not renewed earlier.

8. Duplicate copy of the Registration Certificate - If a Registration Certificate is lost or destroyed, the Applicant may download a copy of the License from the Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India.

9. Operational Timings

The operational timings for Eating Houses registered under these regulations shall be as follows:-

(i) All Eating Houses operating in the premises of five star and four star hotels (classified and accredited as per the norms and standards of Ministry of Tourism, Govt. of India from time to time and displayed on the official website of the Ministry), Eating Houses operating within the premises of Airports, Railways/Metro Stations and Inter State Bus Terminuses shall be permitted to operate for whole day (i.e 24 hours in a day).

(ii) All Eating Houses operating in the premises of three star hotels (classified and accredited as per the norms and standards of Ministry of Tourism, Government of India from time to time and displayed on the official website of the Ministry), shall be permitted to operate for whole day, **except from 02:00 AM to 05:00 AM (i.e 21 hours in a day).**

(iii) All Eating Houses other than those mentioned in 9(i)& 9(ii) above, shall be permitted to **operate for whole day except from 01:00 AM to 05:00 AM (i.e 20 hours in a day).**

(iv) If any customer has been served in the Eating Houses with any eatables before the closing hour in the premises mentioned in (ii) and (iii), the registered Eating House may keep the place open for a period not exceeding a quarter of an hour immediately following the closing hour to enable the customer to consume the articles already served to him.

10. No registered Eating House shall permit any performance or allow any music to be played in such premises except in accordance with the Regulations for Licensing and Controlling Places of Public Amusement (other than Cinema) and Performance for Public Amusement.

Registration Certificate to be non-transferrable

11. (1) A Registration Certificate granted under these Regulations shall not be transferable or assignable but shall be personal for the person only to whom it is granted.

(2) If a Registration Certificate holder transfers or assigns his business to any other person or enters into an agreement with another person, involving his giving up the conduct or control over the business, the Registration Certificate granted to him shall stand terminated from the date of such transaction.

(3) However, in the case of death of the Registration Certificate holder, his heir or legal representative may make an application online within one month from the date of death **of the Registration Certificate holder through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India,** to the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf, to have the benefit of the Registration Certificate for the remaining period of the Registration Certificate and the Commissioner or any other officer authorized by him in this behalf may decide the application having regard to the provisions of these Regulation.

(4) No person who holds a Registration Certificate to operate an Eating House shall make any change in the name of establishment or use his premises for the purpose of services which is not authorized as per Registration Certificate granted. If the Registration Certificate Holder desires to change the name of the establishment or provide any other kind of entertainment services, Registration Certificate holder shall apply for fresh endorsement on the existing Registration Certificate through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, Government of India before Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf.

12. (1) **Refusal, Cancellation and Suspension-**

(i) **Refusal for Registration**:- The Registering Authority shall have discretion to refuse registration of Eating House if such place does not fulfill the requirements as mentioned in these Regulation.

(ii) **Refusal for Renewal**:- The Registering Authority may refuse to renew the Registration Certificate, if the Registration Certificate holder has submitted a false undertaking or the registered premises has violated the terms and conditions of the Registration Certificate duly communicated to **the Registering Authority** in writing by the area Local Police, making him unsuitable to hold the Registration Certificate.

(iii) **Cancellation and Suspension**:-

(a) In case of regulating traffic and for preservation of order in public places etc, the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall have the power in his discretion at any time to cancel a Registration Certificate granted under these Regulations or to suspend for such period

as he may specify and to direct the Registration Certificate holder to close the Eating House either permanently or temporarily.

(b) If the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf is satisfied after such enquiry as he deems fit that the Registration Certificate holder is not a suitable person for continuing to hold the Registration Certificate or in order to prevent any obstruction, inconvenience in the vicinity or to prevent disturbance in such place shall have the power at any time to cancel a Registration Certificate granted under these Regulations or to suspend for such period as he may specify and to direct the Registration Certificate holder to close the Eating House either permanently or temporarily.

(c) If the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf is satisfied that Registration Certificate holder has violated any term/condition of the Registration Certificate, shall have the power at any time to cancel a Registration Certificate granted under these Regulations or to suspend for such period as he may specify and to direct the Registration Certificate holder to close the Eating House either permanently or temporarily.

(d) If any Registration Certificate Holder knowingly permits, persons of notoriously bad character to meet or remain in such place or indulges or permits any illegal activity, the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall have the power in his discretion at any time to cancel a Registration Certificate granted under these Regulation or to suspend it for such period as he may specify. The person to whom such direction have been issued by the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf shall forthwith comply with such direction.

(2) No Registration Certificate granted under these Regulations shall be cancelled until the holder of a Registration Certificate has been given a reasonable opportunity of showing cause why his Registration Certificate should not be cancelled.

Provided that no such opportunity for showing cause shall be necessary when the Registration Certificate is suspended temporarily pending an enquiry against the holder of the Registration Certificate for contravention of any of these Regulations or any order made there under or of any of the conditions of the Registration Certificate granted to him.

13. Suspension/Cancellation/Revocation/Cessation of operations/ Prosecution by other agencies–

Actions like Suspension/Cancellation/Revocation/Cessation of Operations/Prosecution on any violation of license/No Objection Certificate granted under relevant statutes by other Agencies shall be taken by them as per their respective Acts/Rules/Regulations as applicable. The concerned agencies shall be solely responsible for execution of such Suspension/ Cancellation/ Revocation/Cessation of Operations/ Prosecution orders as per their respective Acts/Rules/Regulations.

14. Registration Certificate Holder or any responsible person nominated by him in writing shall be available in the registered premises during operational hours.

15. There shall be First aid facility readily available at every registered Eating House.

16. Every Registration Certificate Holder shall take sufficient steps to prevent overcrowding in or at such place and in the event of any disturbance or accident involving injury to human life or limb happening therein or threat, shall give immediate information of the same to the Delhi Police.

17. Every Registration Certificate Holder shall at all times allow free access to such place to any police officer entering the same in the discharge of his official duty.

18. Every Registration Certificate Holder, as soon as he closes or ceases to operate an Eating House in respect of which a Registration Certificate has been granted under these Regulations shall give intimation thereof to the Commissioner of Police or any other officer authorized by him in this behalf for further necessary action by the Registering Authority.

19. Fees–The fees for grant and renewal of Registration Certificates for premises with different operational timings, as mentioned in these Regulations, shall be specified by the Commissioner of Police from time to time, with prior approval of the Administrator/Lieutenant Governor of Delhi.

20. Record of Registration - The Registering Authority shall maintain electronic database of Registration Certificates.

21. Conditions for issue of Registration Certificate–

(a) Every Registration Certificate Holder shall comply with the conditions of the Registration Certificate and directions that may be issued by the Commissioner of Police/Registering Authority in this behalf from time to time.

(b) The Registration Certificate would be issued online in digital form through Unified Portal of Ministry of Home Affairs, along-with prescribed conditions. The applicant will also be informed through other electronic means.

22. Power to issue directions - The Commissioner of Police/Registering Authority shall issue directions/conditions from time to time for operational reasons, which shall be complied with by the Registration Certificate Holder.

23. Appeal-

(1) Any person, aggrieved by an order of Registering Authority made under these Regulations, refusing to grant or renew license or cancelling a license or suspending a license under the provisions of these Regulations, may, within 30 days from the date of communication of such order to him, make an appeal to the Commissioner of Police, Delhi.

(2) Any person, aggrieved by an order of the Commissioner of Police under sub-regulation (1) or Regulation 12, as the case may be, may within 30 days from the date of communication to him of such order, prefer appeal to the Administrator / Lieutenant Governor, Delhi.

24. Review of Regulations

In order to bring them in conformity with the changed circumstances, these Regulations shall be reviewed from time to time and at-least once in two years.

25. Repeal and Savings:- (1) Immediately with effect from the date on which these Regulations come into force, the Notifications issued on 20th June, 1980 and 20th December, 2007 shall stand repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken or purported to have been taken or any license granted, under the notifications repealed by sub-regulation (1), shall, in so far as these are not inconsistent with these Regulations or the Delhi Police Act, 1978, be deemed to have been done, taken or granted under the corresponding provisions of these Regulations.

[F. No.14014/01/2023-UTP (E-3627231)]

SANJAY ARORA, IPS, Commissioner of Police

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA